मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004
:आदेश::

भोपाल, दिनांक 04/02/2022

क्रमांक एफ–6–9/2018/35–डॉ0 आर.एस.बघेल उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं छतरपुर के पद पर पदस्थ थे। उनकी पदस्थी के दौरान विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2411/2016 की असत्य जानकारी की शिकायत मान0 विधायक आर.डी.प्रजापति द्वारा की गई।

2/ शिकायत की प्राथमिक जांच संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं सागर संभाग से कराई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालक पशुपालन द्वारा डॉ0 बघेल को दिनांक 04.12.2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। संचालक पशुपालन द्वारा दिनांक 31.07.2018 को डॉ0 बघेल के विरूद्व नियमानुसार विभागीय जांच संस्थित किए जाने हेतु आरोप पत्रादि उपलब्ध कराए गए। संचालक पशुपालन के प्रस्तावानुसार विभागीय पत्र दि0 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा आरोप पत्रादि जारी किए गए। डॉ0 बघेल के विरूद्व निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किये गये:–

(I) आपके द्वारा कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला छतरपुर में पदस्थी के दौरान अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए शासन के नियम विरूद्व अधिनस्थ कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थी संस्थओं से अन्यंत्र संलग्न किये गये ।

(II) आपके द्वारा मान0 विधायक महोदय 49 चांदला जिला छतरपुर द्वारा विधानसभा प्रश्न की गलत जानकारी संचालनालय के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

(III) आपके द्वारा विधानसभा प्रश्न 3411/2016 होने के उपरांत भी सलग्नीकरण कर्मचारियों को अपनी मूल पदस्थापना हेतु संलग्नीकरण आदेश निरस्त नहीं किये गये, मान0 विधायक महो0 द्वारा शिकायत होने के उपरांत संलग्नीकरण आदेश में 13 कर्मचारियों के आदेश निरस्त किये गये।

(IV) आपके द्वारा मध्यप्रदेश शासन के नियमों को अनदेखा करते हुए नियम विरूद्व तरीके से कर्मचारियों के संलग्नीकरण कर वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से गलत जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत की गई। शिकायत उपरांत विभाग की छवि धूमिल की गई एवं जानकारी देने के उपरांत बार–बार उल्लेख किया गया कि संलग्नीकरण नहीं किया गया,बल्कि आगामी आदेश तक कर्मचारियों को कार्य करने हेतु आदेशित किया गया।

3/ उक्त आरोपों का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 09.11.2018 को डॉ0 बघेल द्वारा प्रस्तुत करते हुए विभागीय जांच निरस्त करने का अनुरोध किया गया। संचालक पशुपालन ने दि0 05.02.2020 को प्रतिवाद उत्तर पर सहमति प्रगट करते हुए शिकायत पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होना प्रस्तावित किया गया।

..2...

4/ उक्तानुसार प्रस्ताव से असहमत होते हुए शासन द्वारा डॉ0 बघेल के विरूद्व आदेश दिनांक 06.01.2021 द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई। जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन पर अभिमत दिया गया कि :–(i) डॉ0 बघेल उप संचालक के पद पर वर्ष 2016–17 में छतरपुर में पदस्थ थे । उक्त अवधि में जिले में स्वीकृत पद के विरूद्व पदस्थ अमले की अत्यधिक कमी थी। अतः जिले में विभागीय कार्यो एवं पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु डॉ0 बघेल द्वारा 4 कर्मचारियों को पदस्थी स्थान से अन्य संस्थाओं पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया थां।

श्री बी.के.कोरी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधि.,की पदस्थापना वाली संस्था में पर्याप्त अमला होने से रिक्त स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया।

श्री रमेश महान को तत्कालीन सांसद महो0 के निर्देश पर पदस्थ किया गया।

श्री कमल सिंह के दोनों पैरों में गंभीर चोट आने से मानवीय आधार पर अन्यंत्र संस्था में पदस्थ किया गया।

श्रीमती स्वप्निल भुर्जी को उनकी माताजी के इलाज तथा मान0 अध्यक्ष जिला पंचायत छतरपुर की अनुशंसा के आधार पर अन्यंत्र संस्था में पदस्थ किया गया।

जांच के दौरान निरीक्षित अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर उक्त चार आदेश विशेष परिस्थितियों एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से जारी किये गये, जो उचित प्रतीत होते हैं।

(ii) मान0 विधायक महो0 चंदला जिला छतरपुर द्वारा प्र0क्र0 3411/2016 के द्वारा संलग्नीकरण के संबंध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर 08.07.2016 एवं पूरक जानकारी दि0 13.07.2016 के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई जिसका उपयोग वरिष्ठ कार्यालय एवं तत्कालीन पशुपालन मंत्रीजी द्वारा भी अपने उत्तर में किया गया।

अतः जानकारी छिपाने अथवा गलत जानकारी देने जैसी कोई स्थिति प्रतीत नहीं होती है।

(iii) यह सही है कि विधानसभा प्रश्न कमांक 3411/2016 होने के उपरांत भी उक्त आदेशों को व्यापक लोकहित में विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करीब एक वर्ष विलम्ब से निरस्त किया गया।

वर्गीकरण नियम 6 के अंतर्गत गंभीर दुराचार स्थापित नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहियां कायम नहीं रखी जा सकती है। अतः वे सेवानिवृत्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है।

5/ जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संचालक पशुपालन से अभिमत चाहा गया संचालक पशुपालन ने उनकी टीप दि0 10.01.2022 द्वारा अभिमत दिया कि:–

म.प्र.शासन वर्गीकरण नियम 6 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरूद्व गंभीर दुराचार स्थापित नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहियां कायम नहीं रखी जा सकती है। वे सेवानिवृत्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। जांच अधिकारी द्वारा

..3...